

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीनस्थ संस्थानों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण -
कार्यवाही का प्रतिवेदन (दिनांक 16 नवम्बर 2017)

दिनांक 16 नवम्बर 2017 को परिषद के राजभाषा अधिकारियों द्वारा संस्थान की राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया। परिषद से निम्नलिखित अधिकारी निरीक्षण हेतु संस्थान दौरे पर आए -

1. श्री ओम प्रकाश जोशी - सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी
2. श्री महेश गुप्ता - सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी
3. श्री मोहिन्दर कुमार - प्रधान निजी सचिव
4. श्री हरि ओम - निजी सचिव

इस संबंध में सर्वप्रथम निदेशक महोदय की अध्यक्षता में समिति कक्ष 314 में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की एक विशेष बैठक बुलाई गई। जिसमें निरीक्षण अधिकारियों को समिति के सभी सदस्यों से परिचय कराया गया। निदेशक महोदय ने सभी निरीक्षण अधिकारियों को पुष्प एवं स्मृति चिन्ह भेट कर संस्थान में उनका स्वागत किया। तत्पश्चात निदेशक महोदय ने संस्थान के संक्षिप्त क्रियाकलापों से निरीक्षण दल को अवगत कराया।

श्री प्रताप कुमार दास, सहा. मु. तक. अधिकारी ने संस्थान की हिन्दी प्रगति का एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें संस्थान में हो रही हिन्दी की गतिविधियों एवं भावी कार्यक्रमों से निरीक्षण अधिकारियों को अवगत कराया।

निरीक्षण एवं विचार विमर्श के दौरान निरीक्षण अधिकारी श्री महेश गुप्ता ने निरीक्षण प्रपत्र के मदानुसार चर्चा करते हुए हिन्दी को वर्तमान में प्रशासनिक अनिवार्यता बताया तथा कार्यान्वयन की गति को सुचारू रूप से बढ़ाना एवं राजभाषा विभाग द्वारा जारी लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कई बिन्दुओं पर चर्चा किया गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन निरीक्षण का उद्देश्य संसदीय राजभाषा समिति के आगमन से पूर्व हमें राजभाषा द्वारा दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के सभी रिकॉर्ड को समुचित ढंग से तैयार रखना है।

- उन्होंने निरीक्षण प्रश्नावली के मद संख्या 11 पर चर्चा करते हुए यह सुझाव दिया कि अगर संस्थान के समस्त अधिकारी हिन्दी की प्रवीणता अथवा कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं तो 80 कर्मचारी ही क्यों हिन्दी में काम करते हैं।
- निरीक्षण प्रश्नावली के मद संख्या 16 पर चर्चा करते हुए यह बताया गया कि राजभाषा अधिनियम का अनुपालन इस संस्थान में शत-प्रतिशत हो रहा है। परंतु कुछ बिन्दुओं पर टिप्पणी करते हुए यह सुझाव दिया गया कि द्विभाषी करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाए कि हिन्दी का अरएम पहले हो तथा बाद में अंग्रेजी का अरएम होना चाहिए एवं दोनों भाषाओं के अक्षर समान रूप से होने चाहिए।
- मद संख्या 22 पर चर्चा करते हुए कहा कि पत्राचार के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयास किए जाएं। इस संबंध में यह भी उल्लेख किया गया कि अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अगर हिन्दी में प्रेषित की जाती है तो इन पत्रों का रिकॉर्ड प्रेषण पंजिका में ई डिनोट करके रखा जाए ताकि ऐसे पत्रों की गिनती हिन्दी पत्रों में की जा सके।
- मद संख्या 27 पर चर्चा करते हुए निरीक्षण अधिकारी ने यह सुझाव दिया कि यदि सभी कम्प्यूटरों में द्विभाषी की सुविधा है (यूनिकोड) तो इसे प्रयोग में लाना चाहिए जिससे काम की प्रतिशतता में वृद्धि हो सके।
- मद संख्या 49 में चर्चा करते हुए पुस्तक खरीद के संदर्भ में यह सुझाव दिया गया कि केन्द्रीय पुस्तकालय हेतु जो जर्नलस खरीदे जाते हैं उनका वर्गीकरण अलग रखा जाए केवल पुस्तकों की खरीद का बजट अलग करने से हिन्दी पुस्तकों के खरीद का अनुपात समान किया जा सकता है।
- इसके अलावे निरीक्षण अधिकारियों ने इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कैलेण्डर में दिए गए लक्ष्य को प्रतिमाह की बैठक में चर्चा की जाए एवं लक्ष्य प्राप्ति पर समीक्षा की जाए।
- इसी के साथ, यह भी चर्चा की गई कि हिन्दी अनुभग में कार्यरत कर्मचारियों से केवल हिन्दी के ही काम लिया जाए जिनके के लिए वे अधिकृत किए गए हैं। इस संबंध में सचिव महोदय ने पत्र भी जारी किया है तथा समय-समय पर संसदीय राजभाषा समिति भी इस पर संज्ञान लेती है।



